"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 168] रायपुर, शनिवार, दिनांक 7 मई 2011—वैशाख 17, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2011

आदेश

क्रमांक 3329/1186/21-ब/छ.ग./2011.—राज्य शासन, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (सन् 1984 का सं. 66) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सहमति से, सारिणी के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की सेवायें उच्च न्यायालय से प्रत्याहरित करते हुए उक्त न्यायाधीशों को सारिणी के खण्ड (3) में विनिर्दिष्ट कुटुम्ब न्यायालय में न्यायाधीश पदस्थ करती है. उन्हें निर्देशित किया जाता है कि कुटुम्ब न्यायालय में पदभार ग्रहण करें.

स. क्र.	न्यायिक अधिकारियों के नाम एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	श्री अगरलाल जोशी, सप्तम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर.	न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर-चांपा.
2.	श्री अरविंद कुमार वर्मा, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर.	न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर
3.	श्री शैलेष कुमार तिवारी, अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, जगदलपुर.	न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मनेन्द्रगढ़
4.	श्री आनंद कुमार ध्रुव, द्वितीय, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव.	न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कोरबा

Raipur, the 7th May 2011

ORDER

No. 3329/1186/XXI-B/C.G./2011.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 4 of Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government hereby, in concurrence with the High Court of Chhattisgarh withdrawing the services of the members of Higher Judicial Service specified in column No. (2) of the Schedule, from High Court, appoints them Judge of the Family Courts specified in column No. (3). They are directed to take over the charges in the Family Court.

S. No.	Name of the Judicial Officer with present place of posting	Name of the Court
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Agarlal Joshi, VII Additional District & Sessions Judge, Raipur.	Judge, Family Court, Janjgir-Champa.
2.	Shri Arvind Kumar Verma, I Additional District & Sessions Judge, Jagdalpur.	Judge, Family Court, Bilaspur
3.	Shri Shailesh Kumar Tiwari, Chairman, Permanent Lok Adalat, Jagdalpur.	Judge, Family Court, Manendra-garh.
4.	Shri Anand Kumar Dhruv, II Additional District & Sessions Judge, Rajnandgaon.	Judge, Family Court, Korba

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.